भारतीय फुटवियर, चमड़ा एवं सहायक सामान विकास कार्यक्रम के चमड़ा प्रौद्योगिकी, नवप्रयोग तथा पर्यावरणीय मामलों संबंधी उप-योजना के लिए दिशानिर्देश

1. पृष्ठभूमि

(i) चमड़ा उद्योग और विशेषकर चमड़ा शोधन क्रियाकलाप पूरे विश्व में पर्यावरणीय पहलुओं से संबद्ध हैं। पर्यावरणीय मामले धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं और सख्त मानकों के संदर्भ में उद्योगों हेतु व्यापक उपाय किए जाने की आवश्यकता होगी। चमड़े के कारखानों ने अपशिष्ट जल शोधन के मामले का निवारण करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं। चमड़ा कारखाने अपशिष्ट जल शोधन तंत्रों से जुड़े हुए हैं जो निकासी के लिए उत्तरदायी अपशिष्ट जल को प्रतिपादित कर सकते हैं। कुछ राज्यों में शून्य अपशिष्ट जल निकासी भी अनिवार्य बनाई गई है और कारखानों ने शून्य अपशिष्ट जल निकासी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं स्थापित की हैं। तथापि पर्यावरणीय मामलों को सतत रूप से कम करने पर जोर दिया जा रहा है यद्यपि, यह एक ऐसा मामला है जो उद्योग की स्थिरता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है।

(ii) पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं की निम्नलिखित चार श्रेणियों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी:-

I. **साझा बहिस्राव उपचार संयंत्र (सीईटीपी) की स्थापना एवं उन्नयन करना**

II. **चमड़ा, फुटवियर एवं सहायक सामान उद्योग के लिए विजन दस्तावेज तैयार करना तथा राष्ट्र स्तरीय क्षेत्रगत उद्योग परिषद/संघ के लिए सहायता प्रदान करना**

<u>संघटक-वार दिशानिर्देश</u>

(I) साझा बहिस्राव उपचार संयंत्र (सीईटीपी) की स्थापना एवं उन्नयन करना

(क) उद्देश्य

यह संघटक निर्धारित प्रदूषण नियंत्रण निकासी मानकों को पूरा करने के लिए चमड़ा क्लस्टर को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इसमें सीईटीपीएस की स्थापना/विस्तार/उन्नयन, सुरक्षित कचरा जमाव भूमि विकसित करने, साझा रिकवरी ईकाइयां, मलनिकासी प्रबंधन और खतरनाक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए कोई अन्य तकनीकें शामिल होंगी।

विश्वसनीय वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सहित मौजूदा सीईटीपीएस के उन्नयन के लिए सामान्य प्रावधान के अलावा खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी वर्तमान विनियमों को देखते हुए सभी सीईटीपीएस में गीली मिट्टी उपयोग/प्रबंधन के बाद लवणीय नदी/समुद्र में निपटान के अन्य विकल्प सहित लवणता पहलुओं के संचालन के लिए अतिरिक्त परियोजना आवश्यकताओं पर भी विचार किया जाएगा। इस प्रकार इस योजना के लिए व्यापाक रूप से निम्नलिखित क्रियाकलाप शामिल होंगे:

- सीईटीपीएस की स्थापना/विस्तार/उन्नयन
- साझा रिकवरी इकाईयां
- सुनिश्चित भूमि भराव को विकसित करना
- मलनिकासीआशोधन सुवि- उद्योगों की पूर्वसदस्य) अवशेष प्रबंधन/धाओं से उत्सृजित मल के संग्रहण, परिवहन, आशोधन एवं बहिस्राव सहित (
- अपशिष्ट का कुछ उपोत्पादों में परिवर्तन
- जोखिमपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कोई अन्य तकनीक

यन प्रणालीकार्यान्व (ख)

इस योजना के तहत प्रदान जाने वाले गए लाभ उद्यमियों के ऐसे समूह को उपलब्ध होंगे जो चमड़ा व्यवसाय में लगे हैं तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए अवसंरचना की स्थापना/उन्नयन के इच्छुक हैं। इस प्रकार की अवसंरचना की स्थापना के लिए ऐसे उद्यमियों द्वारा प्रोत्साहित विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) इस स्कीम के तहत सहायता प्राप्त करेगा। चमड़ा उद्यमी समूह द्वारा पहले से स्थापित सीईटीपी कंपनियां भी इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एसपीवी हो सकती हैं। एसपीवी के निदेशक मंडल में भारत सरकार (डीआईपीपी) तथा राज्य सरकार प्रत्येक से एक नामिती शामिल होगा।

यह एसपीवी डीपीआर को डीआईपीपी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा। परियोजना विकास एजेंसी संपूर्ण परिचालन के लिए संभाव्य राजस्व आय तथा परिसंपत्तियों की ओएंडएम लागतों को दर्शाते हुए विस्तृत ओएंडएम योजना उपलब्ध कराएगी। इस डिजाइन में सुविधा का संतोषजनक निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त एवं विश्वसनीय वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति व्यवस्था शामिल होंगी। परियोजना में, जहां व्यवहार्य हो, ग्रीनहाऊस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए उपयुक्त तंत्र के साथ टैपिंग कार्बन क्रेडिट का विकल्प की तलाश की जानी चाहिए।

15 करोड़ रु. तक की परियोजनाओं को विभाग द्वारा अधिसूचित की जाने वाली संचालन समिति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। 15 करोड़ रु. से अधिक के प्रस्तावों को विभाग द्वारा अधिसूचित की जाने वाली अधिकार-प्राप्त समिति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआई) मॉनीटरिंग तथा समवर्ती मूल्यांकन आदि के लिए मूल्यांकन एजेंसी तथा परियोजना मानीटरी परामर्शदाता (पीएमसी) के तौर पर कार्य करेगा। इस पीएमसी की नियुक्ति संचालन समिति के द्वारा की जाएगी। यह पीएमसी इस घटक के तहत मंजूर की गई प्रत्येक परियोजना का मध्यावधि तथा आवधिक मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ग) सहायता का पैटर्न

इस घटक के तहत केन्द्र सरकार की सहायता राशि कुल परियोजना लागत के 70% तक होगी बशर्ते यह लागत 200 करोड़ रु. तक सीमित हो, जबकि परियोजना लागत में राज्य सरकार तथा उद्योग/लाभार्थी का हिस्सा क्रमश: 30% होगा। भारत सरकार सहायता, अवसंरचना के पूंजीगत लाभ के लिए एकमुश्त अनुदान

सहायता के तौर पर उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग द्वारा कोई आवर्ती लागत उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। समस्त प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत को उद्योग द्वारा वहन किया जाएगा।

पीएमसी के लिए शुल्क का भुगतान भारत सरकार सहायता के 1% की दर से किया जाएगा।

(घ) निधि जारी करना

यह एसपीवी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में एक व्यापक परियोजना विशिष्ट न्यास एवं प्रतिधारण खाता रखेगा, तथा सरकार से प्राप्त निधि को इन खातों में जारी किया जाएगा। अनुमोदन के पश्चात सरकार , निम्न अनुसूची के अनुरूप अपनी सहायता का हिस्सा 4 चरणों में जारी करेगी:-

पहली किस्त : परियोजना का अंतिम अनुमोदन प्राप्त होने पर तथा परियोजना के वित्तीय दृष्टि से बंद होने के बाद तथा एसपीवी के द्वारा ठेके प्रदान किए जाने पर तथा परियोजना विशिष्ट टीआरए, जिसमें इस टीआर में एसपीवी के द्वारा जमा किए गए आनुपातिक अंशदान (अर्थात एसपीवी के हिस्से का 25%) शामिल है, का विवरण प्रस्तुत करने पर अग्रिम के तौर पर सहायता का 25% ।

दूसरी किस्त: पूर्व किस्त का उपयोग किए जाने के बाद तथा इस टीआरए में एसपीवी के द्वारा जमा कराए गए आनुपातिक अंशदान (अर्थात दूसरी किस्त के तौर पर एसपीवी का 25% हिस्सा) दर्शाने वाले परियोजना विशिष्ट टीआरए का विवरण प्रस्तुत करने पर दूसरी किस्त के तौर पर सहायता का 25% ।

तीसरी किस्त: पूर्व किस्त का उपयोग किए जाने के बाद तथा इस टीआर में एसपीवी के द्वारा जमा कराए गए आनुपातिक अंशदान (अर्थात तीसरी किस्त के तौर पर एसपीवी का 25% का हिस्सा) दर्शाने वाले परियोजना विशिष्ट टीआरए का विवरण प्रस्तुत करने पर तीसरी किस्त के तौर पर सहायता का 25%।

चौथी किस्त: पूर्व किस्त का उपयोग किए जाने के बाद तथा इस टीआरए में एसपीवी के द्वारा जमा कराए गए आनुपातिक अंशदान (अर्थात चौथी किस्त के तौर पर एसपीवी का 25% तथा प्रत्येक राज्य सरकार के हिस्से का 75%) दर्शाने वाले परियोजना विशिष्ट टीआरए का विवरण प्रस्तुत करने पर चौथी किस्त के तौर पर सहायता का 25%।

(II) चमड़ा, फुटवियर एवं सहायक सामान उद्योग के लिए विजन दस्तावेज तैयार करना तथा राष्ट्रीय स्तरीय क्षेत्रगत उद्योग परिषद/संघ के लिए सहायता का विस्तार करना

(क) पृष्ठभूमि

चमड़ा, फुटवियर एवं सहायक सामान उद्योग के सतत विकास के लिए कच्ची सामान की आपूर्ति, अंतिम उत्पाद के लिए मांग, नीतिगत पहलों तथा तर्कसंगत समायावधि में सामाजिक औचित्य/स्वीकार्यता में परिवर्तनों पर विचार करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। इसलिए चमड़ा, फुटवियर एवं सहायक सामान उद्योग के लिए विजन दस्तावेज तैयार किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, घरेलू भागीदारों की

प्रतिस्पर्धात्मकता को सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों की राष्ट्र स्तरीय निकाय को सहायता तथा बढ़ावा देने की भी आवश्यकता है।

(ख) उद्देश्य

इस घटक का उद्देश्य चमड़ा, फुटवियर एवं सहायक सामान क्षेत्र के लिए विजन दस्तावेज तैयार करना है जो इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय विकासों तथा नीतिगत निदेशों के लिए दिशानिर्देशों के रूप में कार्य करेगा। इस का उद्देश्य इस क्षेत्र के लिए विजन पर फोकस सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्र स्तरीय उद्योग निकाय के लिए सहायता का विस्तार करना भी है।

(ग) कार्यान्वयन प्रणाली

(i) संचालन समिति द्वारा नामी संस्थान/संगठन को विजन दस्तावेज तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। विजन दस्तावेज हितधारक परामर्श से तैयार किए जाएंगे तथा विभिन्न उद्योग निकायों के विचारों को उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा। विभाग द्वारा अध्ययन समिति पर विचार किया जाएगा तथा अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ii) सचालन समिति राष्ट्र स्तरीय उद्योग निकाय के लिए सहायता विस्तार का अनुमोदन करेगी।

(घ) निधि पैटर्न तथा निधि जारी करना

(I) इस घटक के तहत विजन दस्तावेज तैयार करने के लिए परियोजना लागत का 100% के रूप में भारत सरकार सहायता 5 करोड़ रूपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन एक मुश्त अनुदान सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। यह निधि दो किस्तों में जारी की जाएगी:

(क) संचालन समिति द्वारा परियोजना के अनुमोदन के बाद कुल लागत का 50%

(ख) पिछली रिलीज की उपयोगिता तथा सचालन समिति द्वारा रिपोर्ट की पूर्णता/स्वीकार्यता के बाद कुल लागत का 50%

(ii) राष्ट्र स्तरीय उद्योग निकाय के निधि संग्रह के अंशदान के समतुल्य एक मुश्त भारत सरकार सहायता संचालन समिति द्वारा जारी की गई रिलीज के लिए विस्तृत तंत्र के अनुसार 5 करोड़ रूपए की अधिकतम सीमा के साथ प्रदान की जाएगी।

*****